न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **24/2023** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2023/24

रोड़ीलाल पिता केशुलाल कीर निवासी: उण्डीतलाई, तहसील—वल्लभनगर, जिला— उदयपुर (राज.)

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
विरूद्ध निर्णय तहसलीदार वल्लभनगर प्रकरण संख्या 249/2022
निर्णय दिनांक 19.10.2022

उपस्थित : श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 13-05-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 249/2022 निर्णय दिनांक 19.10.2022 से नाराज होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पटवार हल्का भटेवर के ग्राम भटेवर की आराजी संख्या 1881/0.1000 रकबा 0.1000 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा किया है, अतिक्रमी घोषित कर, भूमि से बेदखल किया जाकर लगान 3.00 का 50 गुणा से 150/— रुपये शास्ति आरोपित किये जाने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय न्याय एवं विधि के अनुकूल नहीं है। यदि इस आदेश की आड में बेकब्जा कर दिया जाता है तो उसे भारी अशोधनीय हानि होगी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.10.2022 बमुकदमा नंबर 249/2022 नाजायज कब्जा निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 24/23 राजस्व
रोड़ीलाल बनाम सरकार
GCMS No. 2023/24

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना शहादत सबूत, पेश करने का पर्याप्त अवसर दिये, एवं बिना सुने कथित निर्णय देने में भारी भूल की है। अपीलाण्ट का पुराना कब्जा हो अपीलाण्ट की ओर से लगान भी समय–समय पर जमा कराया गया है। अपीलाण्ट से रंजिश रखने वाले व्यक्तियों द्वारा गलत शिकायत की गई और उस गलत शिकायत के आधार पर पटवारी भटेवर द्वारा बिना जानकारी किये अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही को अमल में लाया गया है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर विगत कई वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बेकब्जा करने के जो आदेश दिये गये हैं, उस भूमि में अपीलाण्ट अपने परिवार सहित विगत कई वर्षो से कृषि उपज एवं पशु की देखभाल कर रहा है। उक्त भूमि एवं सटमा खातेदारी भूमि के अलावा अपीलाण्ट एवं परिवार के पास और कोई भूमि नहीं है। अपीलाण्ट खेतीहर काश्तकार है। यदि इस आदेश की आ़ड में बेकब्जा कर दिया जाता है तो उसे भारी अशोधनीय हानि होगी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.10.2022 बमुकदमा नंबर 249/2022 नाजायज कब्जा निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

उपस्थित अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि ग्राम भटेवर के आराजी नबंर 1881/0.1000 रकबा 0.1000 हैक्टेयर बिलानाम भूमि पर अपीलाण्ट रोड़ीलाल पिता केशुलाल कीर द्वारा अतिक्रमण किए जाने से नियमानुसार अतिक्रमी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किए जाकर दिनांक 19.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट का यह कथन बिल्कुल गलत है कि बिना सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया गया जबकि आदेश 19.10.2022 को अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में कोई अभिलेख पत्रावली के साथ प्रस्तुत नही किया है अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त फरमायी जावे।

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 24/23 राजस्व
रोड़ीलाल बनाम सरकार
GCMS No. 2023/24

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलाण्ट द्वारा बिलानामं भूमि पर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा विधिवत भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलाण्ट का कथन है कि ग्राम भटेवर की आराजी संख्या 1881/0.1000 रकबा 0.1000 हैक्टेयर पर अतिक्रमी मानते हुए बिना शहादत सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर दिये एवं बिना सुने बेदखली के आदेश पारित किये गये है जबकि अपीलाण्ट दिनांक 19.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। अपीलाण्ट का कथन है कि उसके द्वारा लगान भी समय-समय पर जमा कराया गया है किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपने स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज ना तो अधीनस्थ न्यायालय एवं ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत नही किये है। अपीलाण्ट द्वारा भूमि के नियमन/खातेदारी हेतु कोई चाराजोही नहीं की गई है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में अंकन किया है कि उक्त भूमि अपनी खातेदारी भूमि से सटमा होने के कारण काश्त की जा रही है स्पष्ट है कि उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी नही होकर बिलानाम है जिससे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र मत है कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिकमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपने प्र.स. 249/22 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 से जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार वल्लभनगर को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर,
उदयपुर